राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामनारायण बनाम बीना 759/2018 । 760/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 760/2018 एवं 759/2018 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है । अधिवक्ता उभयपक्ष की इकजाई मौखिक दोनों पत्रावलीयो पर सुनी गयी । पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/02/2026 को पेश हो।	
16/02/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/02/2017 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को वाके ग्राम चौप तहसील आमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1150/2200, 1187 लगायत 1191 कुल किता 5 रकबा 5.0100 हैक्टयर का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान टीनेंसी एक्ट नियम 18 से 21 (राजस्व मण्डल) का पालन करते हुये बाई मेट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये । जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28/07/2017 पारित कर दिया गया । जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/02/2017 के विरुद्ध अपील संख्या 760/2018 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28/07/2017 के विरुद्ध अपील संख्या 759/2018 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है । जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की ईकजाई मौखिक बहस दोनों अपीलों पर सुनी गयी चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों द्वारा इकजाई रूप से बहस की गयी है । अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है । निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे । अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा यह आपत्ति जाहिर की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी सहित शेष प्रतिवादीगण की तामील करवाये बगैर ही एवं उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही पूर्व वाद संख्या 121/2016 (356/2008) के विचाराधीन होने के उपरान्त भी मनमाने रूप से पश्चातवर्ती प्रश्नाधीन इस वाद में अपीलाधीन प्राथमिक व अन्तिम डिक्री पारित कर	

दी गयी | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 4/अपीलार्थी के नोटिस तामील होकर प्राप्त होना एवं बावजूद सूचना कोई उपस्थित नही होना आदेशिका दिनांक 01/09/2016 में अंकित कर एकपक्षीय अपीलाधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित कर दिये गये, जबकी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार आमेर के तामिल से प्राप्त नोटिस के अतिरिक्त शेष प्रतिवादीगण/अपीलार्थी के तामील से प्राप्त नोटिस सलग्न ही नही है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलार्थी की तामील होना धारित किया गया है, वह विधिसम्मत नही है एवं प्रतिवादीगण/अपीलार्थी की सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही पारित की गयी अपीलाधीन प्राथमिक व अन्तिम डिक्री न्यायोचित्त प्रतीत नही होती है | इसके अतिरिक्त विधिअनुसार भी यदि कोई पूर्ववर्ती वाद विचाराधीन हो तो पश्चातवर्ती वाद को उसके साथ सलग्न कर दोनों वादों को ईकजाई निस्तारित किया जाना कानूनन आवश्यक होता है | किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11/02/2017 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28/07/2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचनानुसार विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये उभयपक्षों की समुचित सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय व् डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील संख्या 760/2018 एवं 759/2018 स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |